बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
संचिका संख्या– 11/विविध–6–17/2014

कार्यालय आदेश

श्री नारायण पासवान, परियोजना संयोजक, नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के साथ दिनांक 16.10.14 को उनके कार्यालय कक्ष में श्री विकास कुमार झा, पिता–श्री मनोज झा, ग्राम– सुरो (ओझा टोला), थाना–बछवाड़ा, जिला– बेगुसराय, श्री अंजनी कुमार मिश्रा, पिता– श्री प्रेमकान्त मिश्रा, बाकरगंज, पीरबहोर, पटना, श्री संतोष कुमार झा, पिता–श्री सुधीर झा, ग्राम– सुरो (ओझा टोला), ग्राम–बछवाड़ा, जिला–बेगुसराय एवं श्री मेहताना आलम, पिता– मो0 बशी, बिहारी साव लेन, मुरादपुर, पटना द्वारा मार पीट की गई। इस घटना की प्राथमिकी परियोजना संयोजक द्वारा शास्त्री नगर थाना, पटना में अपने पत्रांक–1716 दिनांक 16.10.2014 द्वारा दर्ज करायी गयी। प्राथमिकी की सूचना के साथ संवेदक श्री विकास कुमार झा, पार्टनर– ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन एवं अन्य तीन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 6617 दिनांक 18.11.14 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जाचोपरांत पाया गया कि जल संसाधन विभाग के अधीन द्वितीय श्रेणी में निबंधित फर्म मे0 ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन, ग्राम–सुरो (ओझा टोला), पो0–बछवाड़ा, जिला– बेगुसराय के प्रथम पार्टनर श्री विकास कुमार झा, ग्राम–सुरो (ओझा टोला), पो0–बछवाड़ा, जिला–बेगुसराय है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री विकास कुमार झा, पार्टनर– में0 ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन का कृत्य बिहार ठीकेदारी निबन्धन नियमावली– 2007 के नियम (11)(क) की कंडिका– (i),(iii) (IV), में वर्णित कदाचार की श्रेणी में पाते हुए बिहार ठीकेदारी निबन्धन नियमावली–2007 के नियम (11)(ख) के अंतर्गत उनसे विभागीय पत्रांक–6634 दिनांक 24.12.14 द्वारा कारण पृच्छा किया गया।

उपर्युक्त के संदर्भ में मे0 ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन के एक अन्य पार्टनर श्री प्रवीण कुमार झा द्वारा पत्रांक 0, दिनांक 07.01.2015 से कारण पृच्छा दिया गया । उन्के द्वारा अपने कारण पृच्छा में लघु जल संसाधन विभाग में निविदा से सम्बन्धित विवाद एवं उसके बारे में उनके द्वारा कृत कार्रवाई का उल्लेख किया गया। श्री प्रवीण कुमार झा से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि विकास कुमार झा, पार्टनर– ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन द्वारा दिनांक 16.10.14 को श्री नारायण पासवान, परियोजना संयोजक के कार्यालय में उनसे मार पीट किया जाना, सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करना तथा विभागीय पदाधिकारी से अनुशासनहीनता का व्यवहार करना एक गंभीर मामला है जो बिहारी ठीकेदारी निबन्धन, नियमावली–2007 के नियम– (11)(क) की कंडिका– (i),(iii) (IV) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः मे0 ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन, ग्राम–सुरो (ओझा टोला), पो0–बछवाड़ा, जिला– बेगुसराय के निबन्धन सं0 218/2011(श्रेणी–द्वितीय)के काली सूची में डाला जाता है। इस दायरे में उस फर्म के सभी पार्टनर आएँगे।

(हस्ताक्षर)
अभियंता प्रमुख(मध्य)

ज्ञापांक– 405 दिनांक– 27.01.15

प्रतिलिपिः–श्री विकास कुमार झा, पार्टनर ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन, ग्राम–सुरो (ओझा टोला), पो0–बछवाड़ा, जिला–बेगुसराय, पिन–851111 को सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर)
अभियंता प्रमुख(मध्य)

ज्ञापांक– 405 दिनांक– 27.01.15

प्रतिलिपिः–श्री प्रवीण कुमार झा, पार्टनर ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन, ग्राम–सुरो (ओझा टोला), पो0–बछवाड़ा, जिला–बेगुसराय, पिन–851111 को उनके पत्रांक 0 दिनांक 07.01.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर)
अभियंता प्रमुख(मध्य)

कृपया पृष्ठ उलटें

ज्ञापांक– 405 दिनांक–27.01.15

प्रतिलिपिः–सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 6617 दि0 18.11.14 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख(मध्य)

ज्ञापांक– 405 दिनांक– 27.01.15

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख(मध्य)

ज्ञापांक– 405 दिनांक– 27.01.15

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/निदेशक क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/आइ0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

अभियंता प्रमुख(मध्य)

28

आइ0टी0 मैनेजर